उत्प्रवास मंजूरी प्रणाली के लिए दिशानिर्देश

i.आवश्यक उत्प्रवासी जांच (ईसीआर) पासपोर्ट प्राप्त करने के पश्चात्, स्वयं या एक भर्ती एजेंट (भर्ती एजेंट) के माध्यम से उत्प्रवासी संरक्षक (पीओई) के कार्यालय से संपर्क करने पर ही कार्यालय द्वारा एक उत्प्रवासी के पासपोर्ट पर उत्प्रवास मंजूरी स्टीकर चिपकाया जाएगा। क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी द्वारा पासपोर्ट पर ईसीआर अनुमोदन मुहर लगाई जाएगी।

ii. अकुशल कामगार, खेत मजदूर और प्रवासी महिलाओं के मामले में रोजगार करार/अनुबंध का भारतीय मिशन/ पोस्ट द्वारा सत्यापित किया जाना अनिवार्य है।

iii. उत्प्रवास निकासी की मांग करने वाले भर्ती एजेंटों को इन बातों की पुष्टि करते हुए एक शपथ पत्र देना होगा: -

क) कि श्रमिकों के पासपोर्ट पर संलग्न/अनुमोदित रोजगार वीजा (ओं) को प्रत्येक नाम के खिलाफ दिए गए विवरण के अनुसार विदेशी नियोक्ता के संबंध में, संबंधित विदेशी मिशन/सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया है और प्रत्येक नाम के खिलाफ दिए गए विवरण वास्तविक और उल्लिखित अवधि के लिए मान्य हैं।

ख) श्रमिकों का विवरण।

ग) कि विदेशी नियोक्ता से मांग पत्र और मुख्तारनामा की प्राप्ति पर भर्ती एजेंट द्वारा श्रमिकों की भर्ती की गई है और उसे प्रस्तुत किया जा रहा है।

घ) कि कामगार को उसी विदेशी नियोक्ता के लिए तैनात किया जाएगा, जिनके लिए उसे भर्ती किया गया है और रोजगार के देश में पहुँचने पर विदेशी नियोक्ता द्वारा उसे प्राप्त किया जाएगा।

ङ) कि कामगार के व्यवसाय का परीक्षण किया गया है और उसे उस काम के लिए उपयुक्त पाया गया है, जिसके लिए उसे नियोजित किया जा रहा है।

च) कि कामगार को न्यूनतम वेतन का भुगतान किया जाएगा और उसे नमूना रोजगार अनुबंध में निर्दिष्ट रूप में रोजगार की शर्त के न्यूनतम मानक द्वारा नियंत्रित किया जाएगा, जिसकी प्रति संलग्न है।

छ) कि कामगार को उसी काम पर तैनात किया जाएगा, जिसके लिए उसे भर्ती किया गया है।

ज) कि महिला कामगार को तब तक नौकरानी/घरेलू कामगार के रूप में तैनात नहीं किया जाएगा, जब तक अतिरिक्त सुरक्षा उपायों अर्थात् विदेशी नियोक्ता से जमानत के रूप में 2500 डॉलर की बैंक गारंटी, मिशन द्वारा वीजा सत्यापन आदि का पालन नहीं किया जाता।

झ) कि यदि उसके द्वारा भेजे गए व्यक्ति रोजगार के देश में पहुँचने पर अयोग्य पाए जाते हैं तो इसके लिए भर्ती एजेंट जिम्मेदार होगा। ऐसे मामले (लों) में स्वदेश वापसी की लागत का उसके द्वारा वहन किया जाएगा।

ञ) कि भर्ती एजेंट श्रमिकों की उपर्युक्त जानकारी के लिए एक रजिस्टर रखता है।

ट) कि ऊपर बिंदु (ii) में उल्लिखित सभी कामगार वास्तव में कुशल और अर्ध कुशल हैं और उनमें से कोई भी अकुशल मजदूर, कृषि मजदूर, खेत मजदूर या नौकरानी, आदि नहीं है। आगे यह भी प्रमाणित किया जाता है ऊपर की सूची में शामिल रसोइए (यों) घरेलू रोजगार के लिए नहीं जा रहे हैं।

ठ) कि भर्ती एजेंट ने उत्प्रवास अधिनियम, 1983 की धारा 37 की उप-धारा (1) और (2) के प्रावधानों और भारतीय दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) की धारा 193 के झूठे सबूत से संबंधित सजा के प्रावधानों को पढ़ लिया है और उसमें निहित विषय सामग्री को समझा है तथा वचन देता है कि इस हलफनामे के साथ दायर या इसमें संदर्भित दस्तावेजों में से किसी के झूठे, गलत, गढ़ा हुआ पाए जाने या उनके साथ छेड़छाड़ या बदलाव होने की स्थिति में, वह (महिला/पुरुष) वह उत्प्रवास अधिनियम की धारा 37 और भारतीय दंड संहिता की धारा 193 (आईपीसी) के अंतर्गत उत्तरदायी होगा।

ड) कि इच्छुक प्रवासियों को उत्प्रवास की देश की जमीनी हकीकत से अवगत कराया गया है। उत्प्रवास के देश में उन्हें जीवन शैली, रीति-रिवाज, धर्म, प्रथाओं, और क्या करें और न करें से संबंधित जिन समस्याओं का सामना करने की संभावना है, उनके बारे में इच्छुक प्रवासियों को सूचित कर दिया गया है।

ढ) कि भर्ती एजेंट विदेश में तैनात किये जा रहे सभी कामगारों की भारत से उनकी यात्रा से पहले पूरी तरह से चिकित्सा जांच की व्यवस्था कराने का वचन देता है ।

ण) कि कामगार ने रोजगार अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें उनकी उपस्थिति में विदेशी नियोक्ता के हस्ताक्षर किए गए हैं और मुहर लगाई गई है, और उसी रोजगार अनुबंध पर भर्ती एजेंट की मुहर के साथ उसके द्वारा प्रतिहस्ताक्षर किया गया है तथा उसे कामगार को सौंप दिया गया है और एक रसीद प्राप्त की गई है।

iv. 18 ईसीआर देशों में, विदेशों में रोजगार के लिए जाने वाली महिला श्रमिकों की उत्प्रवास मंजूरी केवल राज्य द्वारा चलाई जाने वाली भर्ती एजेंसियों के माध्यम से देने की अनुमति दी है अर्थात् (क) एनओआरकेए रुट्स (केरल), (ख) ओडीईपीसी (केरल), (ग) ओएमसीएल (तमिलनाडु), (घ) यूपीएफसी (उत्तर प्रदेश), (ङ) ओएमसीएपी (आंध्र प्रदेश) और (च) टीओएमसीओएम (तेलंगाना)। 18 ईसीआर देशों में से किसी में भी घरेलू काम के लिए जा रही 30 वर्ष से कम और 50 साल से अधिक की आयु की किसी भी महिला को उत्प्रवास मंजूरी प्रदान नहीं की जाएगी।

v. वर्तमान में इराक, लीबिया और यमन के लिए कोई मंजूरी नहीं दी जा सकती है।

टिप्पणी: समय-समय पर लागू भारत सरकार की नीति/आदेशों के अनुसार एक विशेष देश के लिए उत्प्रवास की मंजूरी प्रदान की जाएगी।

vi. उत्प्रवासी संरक्षक उत्प्रवास के एक आवेदन को निम्नलिखित के आधार पर अस्वीकार कर सकते हैं:

क) जिसके लिए आवेदक को लेने का प्रस्ताव किया गया है, उस रोजगार के नियम और शर्तें भेदभावपूर्ण या शोषक हैं।

ख) कि आवेदक जिस रोजगार को लेने का प्रस्ताव कर रहा है उसमें ऐसी प्रकृति का कार्य शामिल है जो भारत के कानूनों के अनुसार अवैध है या भारत की सार्वजनिक नीति के खिलाफ जाता है या मानव गरिमा और शालीनता के मानदंडों का उल्लंघन करता है।

ग) कि आवेदक के काम करने या रहने की घटिया स्थिति में काम करने या रहने की संभावना है।

घ) जहां आवेदक रोजगार स्वीकारने का प्रस्ताव कर रहा है, उस देश की मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए उत्प्रवास करना आवेदक के हित में नहीं होगा।

ङ) कि अगर आवेदक की भारत के लिए स्वदेश वापसी आवश्यक हो जाती है तो इसकी व्यवस्था करने के लिए होने वाले व्यय को पूरा करने के लिए कोई प्रावधान नहीं हैं या इस संबंध में की गई व्यवस्था उद्देश्य के लिए पर्याप्त नहीं हैं।

च) उत्प्रवास मंजूरी के लिए किसी भी आवेदन को खारिज करने के आदेश में जिस आधार पर आदेश दिया गया है उसे स्पष्ट करते हुए और उन तथ्यों या परिस्थितियों का उल्लेख किया जाएगा जिन पर ये आधारित हैं।

vii. निम्नलिखित मामलों में उत्प्रवास की मंजूरी आवश्यक है:

क) ईसीआर समर्थित पासपोर्ट रखने और 18 ईसीआर देशों में से किसी में भी रोजगार शुरू करने के लिए लिए जा रहे सभी व्यक्तियों को, उत्प्रवास की मंजूरी प्राप्त करने की आवश्यकता होती है।

ख) एक व्यक्ति या तो एक पंजीकृत भर्ती एजेंट के माध्यम से या सीधे एक विदेशी नियोक्ता या एक परियोजना निर्यातक के माध्यम से एक विदेशी देश में रोजगार ले सकता है। उत्प्रवासी संरक्षक, आवेदन और आवेदन के साथ प्रस्तुत अन्य दस्तावेजों में उल्लिखित ब्यौरे की सटीकता के बारे में खुद को संतुष्ट करने के बाद निर्धारित तरीके और रूप में उत्प्रवास की मंजूरी प्रदान करेंगे। किसी भी कमी के मामले में पीओई लिखित रूप में एक आदेश के द्वारा आवेदक को या, जैसा भी मामला हो, भर्ती एजेंट या नियोक्ता, जिनके माध्यम से आवेदन किया गया है, उन्हें सूचित कर सकता है।

viii. पंजीकृत होने के साथ-साथ सक्रिय भर्ती एजेंटों (भर्ती एजेंट) के बारे में सूचना मंत्रालय की वेबसाइट: www.emigrate.gov.in पर उपलब्ध है

ix. कुशल/अर्ध-कुशल श्रमिकों (व्यक्तियों) के लिए आवश्यक दस्तावेज: सीधे उत्प्रवासी संरक्षक से उत्प्रवास मंजूरी की मांग करने वाले (और भर्ती एजेंटों के माध्यम से नहीं) अर्द्ध कुशल व्यक्तियों को जांच और वापसी के लिए मूल रूप में निम्नलिखित दस्तावेजों को प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

क) वैध वीजा के साथ छह महीने की एक न्यूनतम अवधि के लिए मान्य पासपोर्ट।

ख) विदेशी नियोक्ता से रोजगार अनुबंध।

ग) निर्धारित शुल्क जमा करने पर प्राप्त चालान।

घ) बीमा पॉलिसी - प्रवासी भारतीय बीमा योजना (पीबीबीवाई)।

x. अकुशल/ महिला श्रमिकों (व्यक्तियों) के लिए आवश्यक दस्तावेज: विदेशों में रोजगार की तलाश करने वाले अकुशल श्रमिकों और महिलाओं (30 वर्ष से कम और 50 वर्ष से ऊपर की उम्र के नहीं) को उत्प्रवास मंजूरी प्राप्त करने के समय निम्नलिखित दस्तावेजों (मूल रूप में) को प्रस्तुत करना होगा:

क) वैध वीजा के साथ छह महीने की एक न्यूनतम अवधि के लिए मान्य पासपोर्ट।

ख) भारतीय मिशन/ पोस्ट द्वारा विधिवत सत्यापित विदेशी नियोक्ता से प्राप्त रोजगार अनुबंध या संबंधित भारतीय मिशन/पोस्ट से प्राप्त अनुमति पत्र।

ग) निर्धारित शुल्क जमा करने पर प्राप्त चालान।

घ) प्रवासी भारतीय बीमा योजना (पीबीबीवाई) के अंतर्गत बीमा पॉलिसी।

xi. कुशल/अर्ध-कुशल श्रमिकों (भर्ती एजेंटों के माध्यम से) के लिए आवश्यक दस्तावेज: जो भर्ती एजेंट कुशल/अर्ध-कुशल श्रमिकों के लिए उत्प्रवास की मंजूरी चाहते हैं, उनके लिए निम्नलिखित प्रस्तुत करना आवश्यक है:

क) वैध वीजा के साथ 6 महीने की एक न्यूनतम अवधि के लिए कामगार का वैध पासपोर्ट।

ख) मूल रोजगार अनुबंध, मांग पत्र और विदेशी नियोक्ता से मुख्तारनामा ।

ग) निर्धारित शुल्क जमा करने का चालान।

घ) प्रवासी भारतीय बीमा योजना के अंतर्गत बीमा पॉलिसी (पीबीबीवाई)।

xii. अकुशल/महिला श्रमिकों के लिए आवश्यक दस्तावेज (भर्ती एजेंटों के माध्यम से)

क) कुशल/अर्ध-कुशल श्रमिकों के लिए आवश्यक दस्तावेजों के अलावा, ऊपर (xi) में उल्लिखित सभी रोजगार दस्तावेज, जिन्हें भारतीय मिशन/पोस्ट द्वारा विधिवत सत्यापित किया जाना आवश्यक है।

ख) नमूना रोजगार अनुबंध में बुनियादी शर्तें और वेतन, आवास, चिकित्सा कवर, परिवहन, आदि सहित रोजगार की शर्तें शामिल होती हैं।

xiii. विदेशों में रोजगार के लिए विदेश जाने वाली ईसीआर पासपोर्ट धारक सभी भारतीय महिला श्रमिकों के लिए उत्प्रवास स्वीकृति।

क) राष्ट्रीय महिला आयोग की सिफारिश पर 18 उत्प्रवास जांच आवश्यक देशों में से किसी में भी सभी प्रकार के रोजगार के लिए तीस (30) वर्ष से कम उम्र की महिलाओं के लिए उत्प्रवास की मंजूरी देने पर प्रतिबंध लगाया गया था।

ख) जो महिलाएं छुट्टी पर भारत आती हैं और उसी विदेशी नियोक्ता के पास वापस जाने की इच्छा रखती हैं, वे इस प्रतिबंध के अधीन नहीं हैं और भारत में अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों पर आव्रजन अधिकारियों द्वारा निकासी की सुविधा के लिए, पीओई को ऐसी महिला आवेदकों को एक 'अनापत्ति प्रमाणपत्र' देने का अधिकार दिया गया है।

ग) उक्त प्रतिबंध (i) बिना ईसीआर अनुमोदन के पासपोर्ट की धारक (उत्प्रवास जाँच आवश्यक) महिलाओं; और (ii) उत्प्रवास की जाँच आवश्यक नहीं होने वाले किसी भी देश में जा रही महिलाओं पर लागू नहीं है।

घ) संबंधित भारतीय मिशन/पोस्ट में विदेशी नियोक्ता द्वारा जमा किए गए 2500 अमेरिकी डॉलर की रसीद ।

ङ) संबंधित मिशन द्वारा वीजा, रोजगार अनुबंध और विदेशी नियोक्ता की मांग पत्र का सत्यापन और उत्प्रवास की पूर्व अपेक्षित स्वीकृति ।